[2025] 5 एस.सी.आर. 1023 : 2025 आईएनएससी 682

हनुमंतराजू बी (मृत) विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा

बनाम

एम. अकरम पाशा एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 6844-6845/2025)

13 मई 2025

[सूर्यकांत एवं नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह,* न्यायाधीशगण]

विचारणीय मुद्दा

क्या तत्कालीन मामले में, अधिकरण द्वारा नियुक्त आयुक्त द्वारा आंकी गई 78% विकलांगता को स्वीकार करना न्यायसंगत एवं उचित होगा; क्या प्रतिकर की गणना हेतु आय अथवा अर्जन-हानि निर्धारित करते समय पीड़ित के वेतन से भविष्य निधि (पी.एफ.), पेंशन या बीमा के मद में प्राप्त होने वाली किसी भी राशि की कटौती की जानी चाहिए; तथा क्या अपीलकर्ता प्रतिकर राशि में वृद्धि के हकदार हैं।

शीर्ष टिप्पणियाँ†

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - मोटर दुर्घटना दावा - मूल अपीलकर्ता (जिसकी इस अपील की लंबित अवधि के दौरान मृत्यु हो गई) एक दुर्घटना का शिकार हुआ और उसे गंभीर चोटें आईं - चिकित्सा बोर्ड द्वारा शारीरिक दिव्यांगता 61.94% प्रमाणित - अपीलकर्ता द्वारा मोटर दुर्घटना दावा दायर - एम.ए.सी.टी. ने चिकित्सा बोर्ड द्वारा आंकी गई 61.94% दिव्यांगता को आधार बनाते हुए मूल अपीलकर्ता को मुआवज़े की राशि प्रदान की - उच्च न्यायालय ने पुनर्विचार हेतु मामले को अधिकरण को प्रत्यावर्तित किया - एम.ए.सी.टी. ने एक आयुक्त नियुक्त किया जिसने दिव्यांगता 77.72% प्रमाणित की - एम.ए.सी.टी. ने यह माना कि न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिव्यांगता 50% लेना उचित होगा - पुनर्विचार के पश्चात एम.ए.सी.टी. ने कुल ₹31,64,896/- का मुआवज़ा प्रदान किया - उच्च न्यायालय ने वेतन से पेंशन राशि घटाकर तथा ब्याज की दर कम करके मुआवज़े को घटा दिया - दिव्यांगता 61.94% मानी - भविष्य की संभावनाओं के लिए कोई राशि नहीं दी गई - उच्च न्यायालय ने मुआवज़े की गणना ₹27,47,63.25/- की - शुद्धता:

---

*लेखक

अभिनिर्धारित: यह विधि द्वारा भली-भाँति स्थापित है कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में मुआवज़े की गणना घायल/मृतक के अंतिम आहरित वेतन के आधार पर की जानी चाहिए और पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति लाभों को आय की गणना से घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये कर्मचारी अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारियों को किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना, घातक चोट आदि से स्वतंत्र रूप से प्राप्त होने वाले वैधानिक अधिकार हैं और पेंशनरी लाभ का मोटर दुर्घटना से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है - अतः पेंशनरी लाभ को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मुआवज़े की गणना के प्रयोजन से घटाए जाने योग्य "आर्थिक लाभ" नहीं माना जा सकता - भविष्य की संभावनाओं के संबंध में, **प्रणय सेठी** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार, मूल अपीलकर्ता, जिसकी आयु दुर्घटना के समय 43 वर्ष थी, आय में 30% की वृद्धि का हकदार होगा - दिव्यांगता के प्रश्न पर, जबकि चिकित्सा बोर्ड ने दिव्यांगता 61.94% आंकी थी, अधिकरण द्वारा नियुक्त आयुक्त ने इसे 77.72% आंका जिसे 78% तक पूर्णांकित किया गया - अधिकरण को आयुक्त द्वारा किए गए आकलन की शुद्धता पर संदेह नहीं करना चाहिए था और उसे स्वीकार किया जा सकता था, किंतु यह कहते हुए कि ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि मूल अपीलकर्ता पूर्णतः अक्षम हो गया था या सेवा से मुक्त होने के बाद कोई कार्य कर रहा था, अधिकरण ने दिव्यांगता को 50% तक घटा दिया - ऐसा कोई कारण नहीं है कि अधिकरण ने 78% दिव्यांगता को स्वीकार क्यों नहीं किया - इसी प्रकार, उच्च न्यायालय ने भी 61.94% को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताया - यह भी उल्लेखनीय है कि बाद का आकलन अधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाही के दौरान किया गया था और संबंधित चिकित्सक/आयुक्त, जिसने मूल अपीलकर्ता का उपचार किया था, ने अधिकरण के समक्ष साक्ष्य दिया और बीमा कंपनी द्वारा जिरह के बावजूद उसका साक्ष्य अप्रभावित रहा - इन परिस्थितियों में 78% दिव्यांगता को स्वीकार करना न्यायसंगत एवं उचित होगा - उपयुक्त गुणक 14 होगा जैसा कि अधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने अपनाया था - यह न्यायालय इस मत का है कि मूल अपीलकर्ता को प्रदत्त मुआवज़े में वृद्धि की जानी चाहिए - तदनुसार ₹67,36,084/- की राशि अपीलकर्ताओं के पक्ष में 7% साधारण वार्षिक ब्याज सहित जारी की जानी है। [पैराज 19, 22, 24, 25, 27, 29]

हनुमंथराजू बी (मृत) बनाम एम अकरम पाशा और अन्य

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

सारला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य **[2009] 5 एस.सी.आर. 1098 : 2009 6 एस.सी.सी. 121;** *नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम प्रणय सेठी* **[2017] 13 एस.सी.आर. 100 : (2017) 16 एस.सी.सी. 680;** *विमल कंवर एवं अन्य बनाम किशोर दान एवं अन्य* **(2013) 7 एस.सी.सी. 476;** *हेलेन सी. रेबेलो बनाम महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम* **[1998] सप्ली. 1 एस.सी.आर. 684 : (1999) 1 एस.सी.सी. 90;** *रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शशि शर्मा एवं अन्य* **[2016] 6 एस.सी.आर. 488 : (2016) 9 एस.सी.सी. 627;** *नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बीरेंद्र एवं अन्य* **[2020] 1 एस.सी.आर. 946 : (2020) 11 एस.सी.सी. 356 - संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

मोटर वाहन अधिनियम, 1988।

प्रमुख शब्दों की सूची

मोटर दुर्घटना दावा; एम.ए.सी.टी.; पेंशन की कटौती; भविष्य की संभावनाएँ; ब्याज की दर; शारीरिक दिव्यांगता का आकलन; चिकित्सा बोर्ड; मुआवज़े की गणना की पद्धति; "आर्थिक लाभ"; आय-हानि की गणना।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील संख्या 6844-6845/2025

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा एमएफए संख्या 3569 एवं 4867/2016 में दिनांक 14.11.2019 को पारित निर्णय एवं आदेश से।

अधिवक्तागण

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता:

हुल जैन, अनिरुद्ध भट, सुश्री ललित मोहिनी भट, सुश्री हेतु अरोड़ा सेठी।

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता:

संदीप झा, राम एकबाल राय, अमन निहाल, संजय कुमार सिंह, सुश्री कुमुदिनी प्रियदर्शिनी, बिनय कुमार दास।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह, न्यायाधीश

अनुमति प्रदान की जाती है।

2. वर्तमान अपीलें कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा एमएफए संख्या 3569/2016 (एमवी-आई) तथा एमएफए संख्या 4867/2016 (एमवी-आई) में दिनांक 14.11.2019 को पारित साझा निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिसके द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बेंगलुरु द्वारा एमवीसी संख्या 5024/2010 में दिनांक 21.03.2016 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दायर अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था। बीमा कंपनी, जो प्रतिवादी संख्या 2 है और जिसने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एमएफए संख्या 4867/2016 दायर की थी, ने उक्त एमएफए संख्या 4867/2016 में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती नहीं दी है।

3. अभिलेखों से संक्षेप में प्रकट होने वाले मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 10.05.2010 को लगभग 1:45 अपराह्न, मूल अपीलकर्ता (जिसकी इस अपील की लंबित अवधि के दौरान मृत्यु हो गई), जो कि डीआईजीपी, सीआरपीएफ, येलहंका बेस, बेंगलुरु के कार्यालय में उप-निरीक्षक (एम.आई.एन.) के पद पर कार्यरत था, अपनी मोटरसाइकिल से डोड्डाबल्लापुर मेन रोड, कर्नाटक होते हुए येलहंका जा रहा था, तभी जे. वलसल रोड, सीआरपीएफ कैंपस में प्रतिवादी संख्या 1 के स्वामित्व वाली ओम्नी कार, जिसका पंजीकरण संख्या के.ए-04/C-826 था, से उसकी दुर्घटना हो गई। जब उक्त कार के चालक ने दाहिनी ओर मोड़ लिया, तो मूल अपीलकर्ता की मोटरसाइकिल कार से टकरा गई और वह गिर पड़ा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। उसी दिन कार के चालक के विरुद्ध थाना येलहंका ट्रैफिक में धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एफ.आई.आर. संख्या 86/2010 दर्ज की गई। चिकित्सीय अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि दुर्घटना के तुरंत बाद मूल अपीलकर्ता को लगभग 15 दिनों की अवधि में तीन अलग-अलग अवसरों पर अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाएँ पैर की शल्य-चिकित्सा की गई। उसे तनाव और चोटों के कारण हृदयाघात भी हुआ।

4. उसे जो चोटें आई थीं, उन्हें देखते हुए, समग्र अस्पताल, बेंगलुरु में उसकी शारीरिक क्षमता की जाँच हेतु एक चिकित्सा बोर्ड गठित किया गया, जिसने उसे 61.94% शारीरिक दिव्यांगता से ग्रस्त प्रमाणित किया। उक्त शारीरिक दिव्यांगता के कारण वह अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन करने में असमर्थ हो गया, उसे अपेक्षित

पदोन्नति नहीं मिली और अंततः दिनांक 22.03.2012 को उसे सेवा से मुक्त कर दिया गया।

5. सेवा से मुक्त किए जाने से पूर्व, मूल अपीलकर्ता ने दिनांक 05.08.2010 को मोटर दुर्घटना दावा याचिका एमवीसी संख्या 5024/2010 दायर कर प्रतिवादियों से ₹74 लाख के मुआवज़े की मांग की। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बेंगलुरु ने दिनांक 31.01.2014 के अपने आदेश द्वारा मूल अपीलकर्ता को ₹3,28,422/- की राशि 9% वार्षिक ब्याज सहित मुआवज़े के रूप में प्रदान की, जिसमें दुर्घटना के समय उसका अंतिम आहरित वेतन ₹36,231/- तथा चिकित्सा बोर्ड द्वारा आंकी गई 61.94% दिव्यांगता को ध्यान में रखा गया।

6. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, मूल अपीलकर्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एमएफए संख्या 3965/2014 (एमवी) दायर कर मुआवज़े में वृद्धि की प्रार्थना की। उस अपील में, दोनों पक्षों, अर्थात मूल अपीलकर्ता तथा बीमा कंपनी, द्वारा यह स्वीकार किया गया कि मामले पर अधिकरण द्वारा पुनर्विचार आवश्यक है। तदनुसार, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, दिनांक 12.01.2015 के आदेश द्वारा मामले को पुनर्विचार हेतु अधिकरण को प्रत्यावर्तित कर दिया। परिणामस्वरूप, मामला पुनः एम.ए.सी.टी. के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

7. जब उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मामला पुनर्विचार हेतु एम.ए.सी.टी. के समक्ष प्रस्तुत हुआ, तब अधिकरण ने एक आयुक्त नियुक्त किया, अर्थात् डॉ. शंकर आर. कृपाद, जिन्होंने कोलंबिया एशिया रेफरल हॉस्पिटल में, जहाँ मूल अपीलकर्ता का प्रारंभिक उपचार हुआ था, उसकी जाँच की थी, ताकि अपीलकर्ता की दिव्यांगता की सीमा पर अपनी राय दें। डॉ. शंकर आर. कृपाद, जिन्होंने सी.डब्ल्यू.-1 के रूप में साक्ष्य दिया, ने मूल अपीलकर्ता की कुल दिव्यांगता 77.72% आंकी। समग्र अस्पताल, सी.आर.पी.एफ., येलहंका, बेंगलुरु में तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सी.एस. अलबल को भी पी.डब्ल्यू.-3 के रूप में परीक्षित किया गया, जिन्होंने चिकित्सा बोर्ड के सदस्य के रूप में यह राय दी कि अपीलकर्ता 61.94% कुल दिव्यांगता से ग्रस्त है। इस प्रकार, अधिकरण के समक्ष दिव्यांगता के संबंध में दो मत उपलब्ध थे।

8. एम.ए.सी.टी. ने, इस बात के अभाव में कि क्या मूल अपीलकर्ता किसी भी प्रकार के कार्य हेतु पूर्णतः अक्षम हो गया था अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात वह कोई कार्य कर रहा था, चिकित्सा बोर्ड द्वारा किए गए आकलन (61.94% दिव्यांगता) अथवा अधिकरण द्वारा नियुक्त आयुक्त (77.72%)–दोनों में से किसी पर भी भरोसा करने के स्थान

पर यह माना कि न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिव्यांगता को 50% मानना न्यायसंगत एवं उचित होगा।

9. अधिकरण ने ₹36,231/- के वेतन से आयकर एवं पेशेवर कर की कटौती भी की और इस प्रकार मासिक आय ₹33,761/- आंकी। इसके पश्चात अधिकरण ने इस राशि पर 50% दिव्यांगता लागू की और यह माना कि मूल अपीलकर्ता की मासिक आय-हानि ₹16,880/- होगी तथा वार्षिक आय-हानि ₹2,02,560/- होगी। तत्पश्चात, यह देखते हुए कि मूल अपीलकर्ता की आयु लगभग 43 वर्ष थी, उपर्युक्त राशि पर 14 का गुणक लागू करते हुए, अधिकरण ने यह माना कि मूल अपीलकर्ता दिव्यांगता के मद में ₹28,35,840/- के मुआवज़े का हकदार है, जिसमें उपचार अवधि के दौरान आय की हानि तथा जीवन की सुविधाओं की हानि भी सम्मिलित है।

10. भविष्य के चिकित्सीय व्ययों के संबंध में, यद्यपि सी.डब्ल्यू.-1 ने घुटना प्रत्यारोपण शल्य-क्रिया के लिए अनुमानित लागत ₹2,75,000/- बताई थी, तथापि अधिकरण ने उक्त राशि को अधिक पाया और, यह देखते हुए कि स्वयं अधिकरण के अनुसार प्रतिवादियों में से किसी ने भी सी.डब्ल्यू.-1 की राय को अधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी थी, उसे न्यायसंगत एवं उचित मानते हुए ₹50,000/- निर्धारित किया।

11. इस प्रकार, पुनर्विचार के पश्चात एम.ए.सी.टी. ने विभिन्न मदों के अंतर्गत मुआवज़े का निर्धारण करते हुए, दावा याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान की प्राप्ति तक 9% वार्षिक ब्याज सहित कुल ₹31,64,896/- की राशि प्रदान की, जिसका विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	**मद**	**राशि (₹)**
1.	दिव्यांगता के कारण आय की हानि @ 50% (उपचार अवधि के दौरान आय की हानि एवं जीवन की सुविधाओं की हानि सहित) (₹33,761 का 50% × 12 × 14)	28,35,840/-
2.	चोट, पीड़ा एवं कष्ट	50,000/-
3.	चिकित्सीय व्यय	2,14,056/-
4.	भविष्य के चिकित्सीय व्यय	50,000/-
5.	परिचारक, आवागमन एवं विविध व्यय	15,000/-
	कुल	**31,64,896/-**

12. एम.ए.सी.टी. द्वारा पुनर्विचार पर किए गए उपर्युक्त प्रतिकर-निर्धारण से असंतुष्ट होकर, दोनों विपक्षी पक्षों ने अपने-अपने अपीलें उच्च न्यायालय के समक्ष दायर कीं। मूल अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को एम.एफ.ए. संख्या 3569/2016 (एमवी-आई)

के रूप में पंजीकृत किया गया तथा बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील को एम.एफ.ए. संख्या 4867/2016 के रूप में पंजीकृत किया गया। दोनों अपीलों को एक साथ सुना गया और उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2019 के साझा निर्णय एवं आदेश से आंशिक रूप से स्वीकार किया गया, जो वर्तमान में इस न्यायालय के समक्ष मूल अपीलकर्ता द्वारा चुनौती का विषय है।

13. उक्त अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने मुआवज़े की राशि को घटाकर ₹27,47,634.25/- किया, जिसे पूर्णांकित कर ₹27,47,700/- किया गया, जो एम.ए.सी.टी. द्वारा प्रदान की गई राशि से कम थी, तथा ब्याज 6% वार्षिक निर्धारित किया गया। इससे व्यथित होकर मूल अपीलकर्ता ने तत्कालीन विशेष अनुमति याचिका दायर की है। बीमा कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती नहीं दी है।

14. उच्च न्यायालय के विवादित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि मूल अपीलकर्ता सी.आर.पी.एफ. में उप-निरीक्षक के पद पर ₹36,231/- मासिक वेतन पर कार्यरत था और दुर्घटना के कारण वह लगभग डेढ़ वर्ष तक अवकाश पर रहा। तत्पश्चात, चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर मूल अपीलकर्ता को सेवा से मुक्त कर दिया गया, जिसके पश्चात उसे ₹15,247/- मासिक पेंशन दी गई। चूँकि मूल अपीलकर्ता मासिक पेंशन प्राप्त कर रहा था, अतः मासिक आय-हानि का निर्धारण करने के लिए उच्च न्यायालय ने उक्त पेंशन राशि को वेतन से घटा दिया। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने यह माना कि दावाकर्ता की प्रभावी मासिक आय-हानि ₹20,984/- है, अर्थात वेतन से पेंशन राशि घटाने के पश्चात।

15. उच्च न्यायालय ने चिकित्सा बोर्ड की राय के आधार पर, जिसमें मूल अपीलकर्ता की दिव्यांगता 61.94% आंकी गई थी, यह माना कि उसकी आय-क्षमता की हानि 61.94% है और तदनुसार वार्षिक आय-हानि ₹1,55,969.87/- आंकी। चूँकि दुर्घटना के समय मूल अपीलकर्ता की आयु लगभग 43 वर्ष थी, अतः 14 का गुणक लागू किया गया और इस प्रकार कुल आय-हानि ₹21,83,178.25/- निर्धारित की गई। इसके पश्चात उच्च न्यायालय ने विभिन्न मदों के अंतर्गत राशियाँ जोड़ते हुए मुआवज़े की गणना ₹27,47,63.25/- की, जो एम.ए.सी.टी. द्वारा प्रदान की गई राशि से कम थी।

16. इस न्यायालय के समक्ष, मूल अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए निम्नलिखित आधार उठाए हैं:

(i) उच्च न्यायालय ने वेतन से पेंशन राशि घटाकर आय-हानि को त्रुटिपूर्वक कम कर दिया।

(ii) यद्यपि मूल अपीलकर्ता की कुल स्थायी शारीरिक दिव्यांगता को प्रारंभ में चिकित्सा बोर्ड द्वारा 61.94% आंका गया था, परंतु बाद में अधिकरण द्वारा नियुक्त आयुक्त ने इसे 77.8% तक संशोधित किया, जिसे अधिकरण तथा उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए था।

(iii) अधिकरण द्वारा प्रदान की गई 9% वार्षिक ब्याज दर को उच्च न्यायालय ने घटाकर 6% कर दिया।

(iv) भविष्य की संभावनाओं की हानि के संबंध में कोई राशि प्रदान नहीं की गई।

17. इस चरण पर, मोटर दुर्घटना दावों में मुआवज़े की गणना की पद्धति से संबंधित विधिक स्थिति का परीक्षण करना उपयुक्त होगा। मोटर दुर्घटनाओं के कारण हुई चोट या मृत्यु से उत्पन्न मुआवज़े की गणना हेतु, इस न्यायालय के अनेक निर्णयों के अनुसरण में तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ("अधिनियम") में किए गए संशोधनों द्वारा, एक निश्चित स्तर की एकरूपता एवं निरंतरता स्थापित की गई है।

सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य, 2009 (6) एस.सी.सी. 121 में यह कहा गया कि मुआवज़े की समुचित गणना के लिए कुछ तथ्यात्मक पहलुओं का निर्धारण आवश्यक है। ***प्रथम***, मृतक की आयु; ***द्वितीय***, मृतक की आय; ***तृतीय***, आय-हानि का निर्धारण; ***चतुर्थ***, हानि की गणना हेतु उपयुक्त गुणक का चयन; तथा पंचम, अन्य आकस्मिक व्यय जैसे यात्रा/परिवहन आदि।

18. भविष्य की संभावनाओं की अवधारणा, यद्यपि ***सरला वर्मा*** (उपर्युक्त) में विचाराधीन आई थी, परंतु इसे ***राष्ट्रीय बीमा कंपनी बनाम प्रणय सेठी (2017) 16 एससीसी 680*** के मामले में दृढ़ रूप से स्थापित किया गया। अतः मूल अपीलकर्ता को हुई हानि की गणना करते समय इसे ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। ***प्रणय सेठी*** (उपर्युक्त) में यह निर्धारित किया गया कि आय का निर्धारण करते समय, जहाँ मृतक स्थायी नौकरी में था और उसकी आयु 40 वर्ष से कम थी, वहाँ वास्तविक वेतन का 50% भविष्य की संभावनाओं के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। यह वृद्धि 40 से 50 वर्ष की आयु के बीच होने पर 30% तथा 50 से 60 वर्ष की आयु के बीच होने पर 15% होगी। तथापि, वर्तमान मामले में न तो एम.ए.सी.टी. और न ही उच्च न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं के मद में कोई मुआवज़ा प्रदान किया।

19. अब यह विधि द्वारा भली-भाँति स्थापित है कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में मुआवज़े की राशि घायल/मृतक के अंतिम आहरित वेतन के आधार पर गणना की जानी चाहिए और पेंशन अथवा ऐसे सेवानिवृत्ति लाभों को आय की गणना से घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये कर्मचारी अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारियों को किसी भी

अप्रत्याशित दुर्घटना, घातक चोट आदि से स्वतंत्र रूप से प्राप्त होने वाले वैधानिक अधिकार हैं और ऐसे पेंशनरी लाभों का मोटर दुर्घटना से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अतः पेंशनरी लाभ को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के दायरे में मुआवज़े की गणना हेतु घटाए जाने योग्य "आर्थिक लाभ" नहीं माना जा सकता।

इस विधि-सिद्धांत के लिए हम ***विमल कंवर एवं अन्य बनाम किशोर दान एवं अन्य*** **(2013) 7 एस.सी.सी. 476** के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने पूर्ववर्ती निर्णय ***हैलेन सी. रेबेलो बनाम महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम*** **(1999) 1 एस.सी.सी. 90** का संदर्भ देते हुए निम्नलिखित कहा है:-

> *"**19.** उक्त मुद्दा इस न्यायालय के विचारार्थ हेलेन सी. रेबेलो बनाम महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम [(1999) 1 एस.सी.सी. 90 : 1999 एस.सी.सी. (क्रि) 197] में आया। उक्त मामले में इस न्यायालय ने यह कहा कि भविष्य निधि, पेंशन, बीमा तथा इसी प्रकार नकद राशि, बैंक शेष, शेयर, सावधि जमा आदि–ये सभी किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण उत्तराधिकारियों को प्राप्त होने वाले 'आर्थिक लाभ' हैं, परंतु इनका उस राशि से कोई संबंध नहीं है जो किसी विधि के अंतर्गत केवल आकस्मिक मृत्यु के कारण देय होती है। ऐसी राशि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत देय मुआवज़े से संबंधित नहीं मानी जा सकती और इसलिए इसे घटाए जाने योग्य 'आर्थिक लाभ' नहीं कहा जा सकता। निम्नलिखित इस न्यायालय का अवलोकन और निष्कर्ष था: (एस.सी.सी. पृष्ठ 111-12, पैरा 35)*
>
> > *"35. व्यापक रूप से, हम भविष्य निधि की प्राप्ति की जांच कर सकते हैं, जो सेवा अवधि के दौरान कर्मचारी द्वारा किए गए योगदान से स्थगित भुगतान है। ऐसा कर्मचारी या उसके उत्तराधिकारी इस राशि को आकस्मिक मृत्यु से स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने के हकदार होते हैं। यह राशि सुनिश्चित होती है, जबकि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत देय राशि अनिश्चित होती है और केवल दुर्घटना की घटना घटित होने पर ही देय होती है, जो हो भी सकती है और नहीं भी। इसी प्रकार, पारिवारिक पेंशन भी सेवा शर्तों के अनुसार कर्मचारी द्वारा अपने परिवार के लाभ के लिए अर्जित की जाती है और उत्तराधिकारियों को मृत्यु के पश्चात प्राप्त होती है, चाहे मृत्यु आकस्मिक हो या नहीं। दोनों के बीच कोई सहसंबंध नहीं है। इसी प्रकार, जीवन बीमा पॉलिसी*

भी बीमित व्यक्ति अथवा उसके उत्तराधिकारियों को बीमाकर्ता के साथ किए गए अनुबंध के कारण प्राप्त होती है, जिसके लिए बीमित व्यक्ति प्रीमियम के रूप में योगदान करता है। यह राशि बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर परिपक्वता के समय भी प्राप्त हो सकती है। मृत्यु की स्थिति में, बीमाकर्ता अनुबंध की शर्तों के अनुसार राशि का भुगतान करता है। यहाँ भी यह राशि आकस्मिक मृत्यु के कारण नहीं, बल्कि अनुबंध के कारण देय होती है। इसी प्रकार, नकद राशि, बैंक शेष, शेयर, सावधि जमा आदि भी, यद्यपि मृत्यु के कारण उत्तराधिकारियों को प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ हैं, परंतु इनका उस राशि से कोई संबंध नहीं है जो केवल आकस्मिक मृत्यु के कारण विधि के अंतर्गत देय होती है। ऐसे में, इन्हें मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत घटाए जाने योग्य 'आर्थिक लाभ' कैसे माना जा सकता है। जब हम हानि और लाभ के सिद्धांत को देखते हैं, तो दोनों के बीच समान स्तर पर प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए, न कि ऐसे मामलों में जहाँ कोई सहसंबंध ही न हो। बीमित (मृतक) अपने स्वयं के धन का योगदान करता है, जिसके बदले उसे वह राशि प्राप्त होती है, जिसका दुर्घटना के कारण दोषी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले मुआवज़े से कोई संबंध नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत देय मुआवज़ा बिना किसी योगदान के देय होता है, तब बीमित व्यक्ति के योगदान से प्राप्त राशि को मुआवज़े से घटाया कैसे जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत देय मुआवज़ा वैधानिक है, जबकि जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त राशि संविदात्मक है।"

अतः, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया है कि पी.एफ., पेंशन या बीमा के आधार पर प्राप्त होने वाली किसी भी राशि को पीड़ित के वेतन से घटाकर उसकी आय या अर्जन-हानि निर्धारित करने के उद्देश्य से क्षतिपूर्ति की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत की पुनः पुष्टि **रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शशि शर्मा एवं अन्य (2016) 9 एस.सी.सी. 627** तथा ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बीरेंद्र एवं अन्य (2020) 11 एस.सी.सी. 356*** में की गई।

20. उपर्युक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अब हम विचाराधीन मुद्दों की जाँच करेंगे।

21. आय-हानि की गणना के संबंध में, उपर्युक्त संदर्भित निर्णयों के प्रकाश में, उच्च न्यायालय द्वारा वेतन ₹36,231/- में से पेंशन राशि ₹15,247/- की कटौती करना अनुमेय नहीं था। अतः आय-हानि की गणना के प्रयोजन से उक्त मासिक वेतन ₹36,231/- को, पेंशन राशि घटाए बिना, स्वीकार किया जाना आवश्यक है।

22. जहाँ तक भविष्य की संभावनाओं का प्रश्न है, ***सरला वर्मा (उपर्युक्त)*** तथा ***प्रणय सेठी (उपर्युक्त)*** में प्रतिपादित निर्णयों के आलोक में इसे नकारा नहीं जा सकता, जिनमें यह कहा गया है कि जहाँ दावाकर्ता की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच हो, वहाँ वेतन में 30% की वृद्धि की जानी चाहिए।

दिनांक 09.01.2012 के सिग्नल/SELO संदेश से यह परिलक्षित होता है कि मूल अपीलकर्ता को पदोन्नति के लिए विचार किया गया था। तथापि, दिनांक 22.03.2013 को सेवा से मुक्त किए जाने के कारण पदोन्नति साकार नहीं हो सकी। किसी भी स्थिति में, ***प्रणय सेठी (उपर्युक्त)*** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार, मूल अपीलकर्ता, जिसकी आयु दुर्घटना के समय 43 वर्ष थी, आय में 30% की वृद्धि का हकदार होगा, जो भविष्य की संभावनाओं की हानि के रूप में जोड़ी जाएगी।

23. दिव्यांगता के प्रश्न पर आते हुए, यह स्मरण करना उपयुक्त होगा कि जहाँ चिकित्सा बोर्ड ने दिव्यांगता 61.94% आंकी थी, वहीं अधिकरण द्वारा नियुक्त आयुक्त ने इसे 77.72% आंका था, जिसे पूर्णांकित कर 78% किया गया। यह उल्लेखनीय है कि आयुक्त (सी.डब्ल्यू.-1) के साक्ष्य पर विचार करते समय, अधिकरण ने यह दर्ज किया था कि बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा आयुक्त से जिरह की गई थी और अधिकरण ने यह भी टिप्पणी की थी कि उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय या अस्वीकृत करने योग्य कोई बात उजागर नहीं हुई। इस प्रकार, अधिकरण आयुक्त द्वारा किए गए आकलन की शुद्धता पर संदेह नहीं कर सकता था और उसे स्वीकार कर सकता था, फिर भी इस विचित्र कारण से कि ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं था जिससे यह सिद्ध हो कि मूल अपीलकर्ता पूर्णतः अक्षम हो गया था या सेवा से मुक्त होने के बाद कोई कार्य कर रहा था, अधिकरण ने दिव्यांगता को 50% तक घटा दिया, यह कहते हुए कि इससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होगी।

24. यद्यपि मूल अपीलकर्ता की शारीरिक दिव्यांगता के संबंध में आयुक्त द्वारा दी गई पश्चातवर्ती चिकित्सीय राय की विश्वसनीयता को न तो बीमा कंपनी ने चुनौती दी थी और न ही स्वयं अधिकरण ने उस पर संदेह व्यक्त किया था, तथापि हमें यह समझ में नहीं आता कि अधिकरण ने 78% दिव्यांगता को स्वीकार क्यों नहीं किया। हमने यह भी नोट किया है कि उच्च न्यायालय ने मूल अपीलकर्ता की शारीरिक दिव्यांगता

को 61.94% माना, जो कि चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया गया प्रारंभिक आकलन था, और अधिकरण द्वारा नियुक्त आयुक्त के 78% के पश्चातवर्ती आकलन की उपेक्षा की, जबकि उसकी शुद्धता पर स्वयं अधिकरण ने भी संदेह नहीं किया था। उच्च न्यायालय द्वारा यह बताने का कोई कारण नहीं दिया गया कि उसने आयुक्त द्वारा

किए गए 78% दिव्यांगता के आकलन के स्थान पर चिकित्सा बोर्ड द्वारा किए गए 61.94% आकलन को क्यों स्वीकार किया। यह भी उल्लेखनीय है कि पश्चातवर्ती आकलन अधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाही के दौरान किया गया था और संबंधित चिकित्सक/आयुक्त, जिसने मूल अपीलकर्ता का उपचार किया था, ने अधिकरण के समक्ष साक्ष्य दिया था तथा बीमा कंपनी द्वारा जिरह के उपरांत भी उसका साक्ष्य अप्रभावित रहा था।

इन परिस्थितियों में, हमारा यह मत है कि वर्तमान मामले में अधिकरण द्वारा नियुक्त आयुक्त द्वारा आंकी गई 78% दिव्यांगता को स्वीकार करना न्यायसंगत एवं उचित होगा।

25. जहाँ तक गुणक का प्रश्न है, चूँकि दुर्घटना के समय मूल अपीलकर्ता की आयु, अर्थात 43 वर्ष, विवादित नहीं है, अतः हमारा भी यह मत है कि उपयुक्त गुणक 14 ही होगा, जैसा कि अधिकरण तथा उच्च न्यायालय दोनों द्वारा लागू किया गया था।

26. अतः, हम अपीलकर्ताओं द्वारा क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि हेतु किए गए प्रस्तुतियों में गुण पाते हैं।

क्षतिपूर्ति की राशि का पुनर्निर्धारण करने हेतु, दिवंगत मूल अपीलकर्ता की मासिक आय का निर्धारण इस प्रकार किया जाना है कि मासिक आय से पेंशन की कटौती न की जाए। परिणामस्वरूप, इसे ₹36,231/- (वेतन) पर स्थिर किया गया है।

इसके अतिरिक्त, चूँकि उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य की संभावनाओं के मद में उपयुक्त राशि प्रदान नहीं की गई थी, तथा मूल अपीलकर्ता ने दुर्घटना के कारण अपनी पदोन्नति की संभावनाएँ खो दी थीं और उसकी आयु 43 वर्ष थी, अतः हम उसके वार्षिक आय में 30% की वृद्धि करना उपयुक्त समझते हैं।

27. चूँकि अन्य मदों के अंतर्गत मुआवज़े की गणना के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि को चुनौती नहीं दी गई है, अतः हमने मासिक आय, दिव्यांगता की सीमा, भविष्य की संभावनाएँ तथा ब्याज की दर के अतिरिक्त अन्य किसी मद में

हस्तक्षेप नहीं किया है। तदनुसार, हम निम्नलिखित गणना के अनुसार मूल अपीलकर्ता को प्रदान किए गए मुआवज़े में वृद्धि किए जाने के मत के हैं–

मुआवज़े की गणना

(i)	**मासिक आय** वेतन ₹36,231/-	
	वार्षिक आय ₹36,231 × 12	**₹4,34,772/-**
(ii)	**जोड़: भविष्य की संभावनाएँ @**वार्षिक आय का **30%** 30% of ₹4,34,772/-	**₹1,30,432/-**
	कुल:	**₹5,65,204/-**
(iii)	**वार्षिक आय पर गुणक 14 लागू करें** ₹5,65,204 × 14	**₹79,12,856/-**
(iv)	**आय-क्षमता की हानि (78% दिव्यांगता लागू करते हुए)** **₹79,12,856 × 78%**	**₹61,72,028/-**
(v)	**जोड़: चोट, पीड़ा एवं कष्ट** **(उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान अनुसार)**	**₹1,00,000/-**
(vi)	**जोड़: चिकित्सीय व्यय** **(उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान अनुसार)**	**₹2,14,056/-**
(vii)	**जोड़: परिचारक, आवागमन एवं विविध व्यय** **(उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान अनुसार)**	**₹50,000/-**
(viii)	**जोड़: जीवन की सुविधाओं की हानि** **(उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान अनुसार)**	**₹1,00,000/-**
(ix)	**जोड़: भविष्य के चिकित्सीय व्यय** **(उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान अनुसार)**	**₹1,00,000/-**
	कुल मुआवज़ा राशि	**₹67,36,084/-**

28. जहाँ तक ब्याज की दर का प्रश्न है, हमने यह नोट किया है कि अधिकरण द्वारा दिनांक 31.01.2014 को पारित प्रथम पुरस्कार में 9% वार्षिक ब्याज प्रदान किया गया था, और तत्पश्चात जब मामला पुनर्विचार हेतु प्रत्यावर्तित किया गया, तब भी अधिकरण ने दिनांक 31.01.2016 के पुरस्कार द्वारा पुनः 9% वार्षिक ब्याज प्रदान किया था। तथापि, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश दिनांक 14.11.2019 द्वारा उक्त ब्याज दर को घटाकर 6% वार्षिक कर दिया, जो अपेक्षाकृत कम है। तथापि, हमारा यह मत है कि यदि ब्याज की दर को बढ़ाकर 7% वार्षिक किया जाए, तो यह न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करेगा।

29. तदनुसार, उपर्युक्त ₹67,36,084/- की राशि अपीलकर्ताओं के पक्ष में 7% साधारण वार्षिक ब्याज सहित जारी की जाएगी, जो हमारे मत में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करेगी, और यह ब्याज दावा याचिका दायर करने की तिथि से लेकर संवर्धित मुआवज़े की वसूली तक गणना किया जाएगा।

30. चूँकि दोनों प्रतिवादी संयुक्त एवं पृथक रूप से उत्तरदायी हैं, अतः प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर अपीलकर्ताओं को उपर्युक्त निर्देशानुसार 7% साधारण वार्षिक ब्याज सहित ₹67,36,084/- की संवर्धित मुआवज़ा राशि का भुगतान करे। प्रतिवादी संख्या 2 विधि के अनुसार, यदि कोई हो, तो अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

31. तदनुसार, उपर्युक्त शर्तों के अनुसार अपीलें स्वीकार की जाती हैं और कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा एमएफए संख्या 3569/2016 तथा एमएफए संख्या 4867/2016 में दिनांक 14.11.2019 को पारित साझा विवादित आदेश को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

मामले का परिणाम: अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

[†]शीर्ष टिप्पणियाँ अंकित ज्ञान द्वारा तैयार की गईं।

[*]यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।